

डजिटल सेवा अधिनियम (DSA): EU

प्रलिस के लयः

यूरोपीय संसद और यूरोपीय संघ (EU), डजिटल सेवा अधिनियम (DSA)

मेन्स के लयः

डजिटल सेवा अधिनियम, सूचना प्रौद्योगिकी नयम 2021, भाषण और अभवियक्तकी स्वतंत्रता, नीतियों के डज़ाइन एवं कार्यान्वयन से उत्पन्न मुद्दे, सरकारी नीतियों और हस्तक्षेप

चर्चा में क्यों?

डजिटल सेवा अधिनियम (DSA), एक ऐसा कानून जो ऑनलाइन सुरक्षा पर केंद्रित है और क्षेत्र के सोशल मीडिया और ई-कॉमर्स नियमों को अद्यतन करता है, को [यूरोपियन संघ \(EU\)](#) का अंतिम अनुमोदन प्राप्त हुआ है।

डजिटल सेवा अधिनियमः

■ वषयः

- जैसा कियूरोपीय संघ आयोग द्वारा परभाषित किया गया है, DSA "एकल बाज़ार में बचौलियों के दायत्वों और जवाबदेही पर सामान्य नियमों की एक सारणी" है तथा यूरोपीय संघ के सभी उपयोगकर्त्ताओं के लिये उच्च सुरक्षा सुनिश्चित करता है, चाहे उनका देश कोई भी हो।

■ उद्देशयः

- जब उपयोगकर्त्ता सामग्री को मॉडरेट करने की बात आती है तो DSA बचौलियों, विशेष रूप से गूगल, फेसबुक और यूट्यूब जैसे बड़े प्लेटफॉर्म के काम करने के तरीके को सख्ती से नयितरति करेगा।

डजिटल सेवा अधिनियम की वशिषताः

■ सामग्री को तीव्रता से हटाने और चुनौती देने के प्रावधानः

- अद्यतन के हसिसे के रूप में सोशल मीडिया कंपनियों को अवैध या हानिकारक समझी जाने वाली सामग्री को "तेज़ी से हटाने के लिये नए प्रावधानों" को जोड़ना होगा।
- उन्हें उपयोगकर्त्ताओं को यह भी समझाना होगा कउनकी कंटेंट टेकडाउन पॉलिसी कैसे काम करती है।
- DSA उपयोगकर्त्ताओं को प्लेटफॉर्म द्वारा लिये गए टेकडाउन नरिणयों को चुनौती देने और अदालत के बाहर मामले का नपिटारा करने की अनुमति देता है।

■ बड़े मंचों की बड़ी ज़मिमेदारीः

- यह अधिनियम "सभी के लिये एक समान" की बजाय कंपनियों के आकार के आधार पर उनकी ज़मिमेदारियों का नरिधारण करता है।
- DSA के तहत यूरोपीय संघ में 45 मिलियन से अधिक उपयोगकर्त्ताओं वाले प्लेटफॉर्म जैसे- 'वेरी लार्ज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म' (VLOP) और 'वेरी लार्ज ऑनलाइन सर्च इंजन' (VLOSE) के लिये नयम पर्याप्त सख्त होंगे।

■ सीधे यूरोपियन आयोग द्वारा नगरानीः

- यूरोपीय आयोग इन आवश्यकताओं और उनके प्रवर्तन की केंद्रीय नगरानी के लिये ज़मिमेदार होगा।

■ एल्गोरदिम के कार्यों में अधिक पारदर्शिताः

- VLOPs and VLOSEs पारदर्शिता नयमों और एल्गोरदिम परीक्षण के अधीन होंगे।
- अपने उत्पादों के सामाजिक प्रभावों के संबंध में जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिये, इन प्लेटफॉर्म को प्रणालीगत ज़ोखमि वशिषण करने की आवश्यकता होगी।
- अनुपालन का आकलन करने और गैरकानूनी या हानिकारक सामग्री के प्रणालीगत ज़ोखमि का पता लगाने के लयिशोधकर्त्ताओं और नयामकों दोनों के पास VLOP के डेटा तक पहुँच होनी चाहिये।
- VLOP को नयामकों को अनुपालन का आकलन करने के लिये अपने डेटा तक पहुँचने की अनुमति देनी चाहिये और शोधकर्त्ताओं को अवैध

या हानिकारक सामग्री के प्रणालीगत जोखिमों की पहचान करने के लिये अपने डेटा तक पहुँच प्रदान करनी चाहिये।

■ वजिजापनों के लिये स्पष्ट पहचानकर्त्ता और भुगतानकर्त्ता:

- ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि उपयोगकर्त्ता आसानी से वजिजापनों की पहचान कर सकें और समझ सकें कि वजिजापन कौन प्रस्तुत करता है या भुगतान करता है।
- उन्हें नाबालिगों के प्रति निर्दिष्ट या संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा पर आधारित वैयक्तिकृत वजिजापन प्रदर्शित नहीं करने चाहिये।

यूरोपीय संघ के DSA की तुलना भारत के ऑनलाइन कानूनों से:

■ सूचना प्रौद्योगिकी नयिम, 2021 (IT नयिम):

○ परचिय:

- फरवरी 2021 में भारत ने [सूचना प्रौद्योगिकी नयिम, 2021 \(IT नयिम\)](#) के रूप में अपने सोशल मीडिया नयिमों में व्यापक बदलावों को अधिसूचित किया था, जिसने मेटा और ट्विटर जैसे बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर महत्वपूर्ण उचित परशिरम आवश्यकताओं को रखा था।
- इनमें कानून प्रवर्तन अनुरोधों और उपयोगकर्त्ता शिकायतों को संभालने के लिये प्रमुख कर्मियों को नयिकृत करना, कुछ शर्तों के तहत सूचना के पहले प्रवर्तक की पहचान को सक्षम करना एवं कुछ प्रकार की सामग्रियों की पहचान करने के लिये सर्वोत्तम प्रयास के आधार पर प्रौद्योगिकी-आधारित उपायों को लागू करना शामिल था।
- सबसे विवादास्पद प्रस्तावों में से एक सरकार समर्थित शिकायत अपीलीय समितियों का निर्माण है, जिनके पास प्लेटफॉर्मस द्वारा लिये गए कंटेंट मॉडरेशन निर्णयों की समीक्षा करने और उन्हें रद्द करने का अधिकार होगा।

○ कानून पर आपत्ति:

- सोशल मीडिया कंपनियों ने IT नयिमों के कुछ प्रावधानों पर आपत्ति जताई है और व्हाट्सएप ने एक के खिलाफ मामला दर्ज किया है, जिसमें कहा गया है कि संदेश के पहले प्रवर्तक का पता लगाना आवश्यक है।
- प्रवर्तक का पता लगाने के लिये प्लेटफॉर्म की आवश्यकता का एक कारण यह हो सकता है कि यदि उपयोगकर्त्ता ने अपने प्लेटफॉर्म पर बाल यौन शोषण सामग्री साझा की है।
- हालाँकि व्हाट्सएप ने आरोप लगाया है कि प्रवर्तक का पता लगाना आवश्यक होने पर प्लेटफॉर्म पर एन्क्रिप्शन सुरक्षा को कमजोर कर देगी और लाखों भारतीयों के व्यक्तिगत संदेशों से समझौता कर सकती है।

■ IT अधिनयिम, 2000:

- भारत अपनी प्रौद्योगिकी नीतियों के पूरण परविरतन पर भी काम कर रहा है और उम्मीद है कि जल्द ही यह [IT अधिनयिम, 2000](#) के प्रतस्थापन के साथ सामने आएगा।
- अन्य बातों के अलावा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की नेट न्यूट्रैलिटी और एल्गोरदिम जवाबदेही सुनिश्चित करने पर विचार किये जाने की उम्मीद है।

[स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस](#)